तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.4.15 राज्य सरकार औपचारिक पक्षकार है, प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं है। 9/4/2015	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 02 के पक्ष में प्रत्युत्तर की आवश्यकता पर बहस। अतः पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 24.4.15 को पेश हो।	
	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.5.15 को पेश हो। वादी सं. 01 का साक्ष्य स्वरूप शपथ पर पेश किया। रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
13.7.15	पत्रावली कोर्ट कैम्प माण्डल पर पेश। प्रकरण में वादीगण को श्रुत रूप। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.7.15 को पेश हो।	
29.7.15	पत्रावली बमुकाम लोक अदालत कैम्प माण्डल पेश हुई। प्रकरण में वादीगणों ने वाद पेश कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम माण्डल स्थित आ. नं. 3506 रकबा 0.17 बीघा एवं 3510 रकबा 0.08 बीघा कुल किता 2 रकबा 1.05 बीघा वर्तमान में उनके स्वर्गीय पिता जी भगवतीलाल पिता मदनलाल जोशी के नाम दर्ज है उनका दिनांक 16.4.2010 को स्वर्गवास हो चुका है। उनका एक भाई नरेन्द्र देव, जी रामेश्वर लाल जी के गोद चला गया है, एक भाई रविन्द्रनाथ लाऔलाद फौत हो चुका है। अतः जी भगवतीलाल जी की भूमि का वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 10.2.15 द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जा चुके है। एवं प्रतिवादी सं. 2 ने औपचारिक पक्षकार के नाते जवाब की आवश्यकता नहीं दर्शायी है। वादीगणों द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 29.07.2015 का अवलोकन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिससे वादीगणों के कथन की पुष्टि होती है, अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मृतक जी भगवतीलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि ग्राम माण्डल के आ. नं. 3506 रकबा 0.17 बीघा एवं 3510 रकबा 0.08 बीघा पर वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीगणों के नाम दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नेकर से कमी हो। ([illegible] सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल	